मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 12, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1.औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था.

विगत दिवस नर्सेस काउंसिल संबंधी ध्यानाकर्षण पर चर्चा के उत्तर में सहकारिता मंत्री द्वारा कथित रूप से सदन को गुमराह किए जाने पर दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर चर्चा एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रकरण में जाँच की मांग की जाना.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आंसदी से यह अनुरोध किया कि कल दिनाँक 2 जुलाई, 2024 को नर्सेस काउंसिल द्वारा अनियमितता पर हुई चर्चा के दौरान श्री विश्वास सारंग सहकारिता मंत्री द्वारा सदन को गुमराह किया गया है और गलत जानकारी दी गई है. इसके बारे में विपक्ष के सदस्यों ने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, प्रमाण के साथ हमने जानकारी दी है. हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और कल हमने सर्वदलीय समिति बनाकर जाँच करवाने की भी मांग की थी, उस पर भी आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया कि आज इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि आज तो बजट आ रहा है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- "आय-व्ययक उपस्थापन के दिन बाकी विषय नहीं लिए जाते हैं. उसके लिए अपने पास समय है, आप मुझसे मिल भी सकते हैं. मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हर विषय को उठाने के लिए नियम प्रक्रिया में प्रावधान हैं. आप उसके तहत आइये. मैं सभी को सुनूंगा और जरूरी होगा तो अवसर दूंगा. यह बजट सत्र है, अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूँगा कि अब वह बजट प्रस्तुत करें."

डॉ.मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने आसंदी से आह्वान किया कि नेता प्रतिपक्ष सहित पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को सदन की जो मान्य परंपरा की आपने जो व्यवस्था दी है, उसका पालन करना चाहिए. कल सभी की इच्छानुसार उस विषय पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है. सदन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ध्यानाकर्षण पर चार घंटे तक चर्चा हो. अब उस विषय को इस ढंग से लेना सदन का समय जाया करना है. यह बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान भटकाने का प्रयास भी है. मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई नहीं बोलेगा अब आप कृपया व्यवस्था दें ताकि बजट प्रस्तुत हो सके.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- "नियमों को शिथिल करके कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो गई है, अब इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं होगी. जो विषय विपक्ष के सदस्यगण उठा रहे हैं उसके लिए नियम प्रक्रिया के तहत ही आपको अवसर मिलेगा. श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त के अलावा किसी का कथन रिकार्ड में नहीं आएगा."

2. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक का उपस्थापन.

अध्यक्ष महोदय द्वारा उप मुख्यमंत्री, वित्त से अनुरोध किया गया कि वह बजट भाषण प्रारंभ करें.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त द्वारा राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया गया.

3. गर्भ गृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन.

इंडियन नेशनल काँग्रेस के सदस्यगण द्वारा कल सदन में ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में प्रवेश किया गया. बजट भाषण के दौरान नारेबाजी की गई तथा कुछ समय पश्चात् बहिर्गमन किया गया.

तदुपरांत श्री जगदीश देवड़ा द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2024-25 सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि- "आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं, निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 3 जुलाई, 2024 को अपराह्न 5 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए गुरूवार, दिनांक 4 जुलाई, 2024 का समय नियत किया गया है."

4. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः)

विपक्ष के सदस्यों द्वारा आय-व्ययक उपस्थापन के दौरान व्यवधान से कार्यवाही बाधित की जाना.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि आज विपक्ष की स्थिति अत्यन्त निंदनीय है. मध्यप्रदेश के इतिहास में ध्यानाकर्षण के माध्यम से आपने पूरा अवसर दिया, सर्वाधिक चर्चा हुई. उसके बाद आज बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार से व्यवधान करना, यह बहुत निंदनीय कृत्य है इसलिए विपक्ष के इस कृत्य पर सदन को निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिये. यदि आप अनुमति दें तो हम सब, यह सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव दें.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने ''मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 250, कंडिका 2 और 9 का उल्लेख करते हुए यह मत व्यक्त किया कि- इस नियम में स्पष्ट है कि किसी के भाषण के दौरान ऐसा व्यवधान नहीं हो सकता, लेकिन जब बजट पेश हो रहा हो उस समय जो व्यवहार है, यह औचित्य का प्रश्न भी उठाता है कि जो नियम 267-क में भी है और उसके आगे भी है. मुझे लगता है कि मंत्री होने के नाते शायद मैं, औचित्य का प्रश्न नहीं उठा सकता. कोई माननीय सदस्य उठा सकता है, लेकिन औचित्य का प्रश्न आता है और मुझे लगता है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में अभी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, वह कठोर हो सकता है. यह आपके विवेक के ऊपर छोड़ा जाना चाहिये. लेकिन औचित्य का प्रश्न हमारे किसी माननीय सदस्य को जरूर उठाना चाहिये, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थियां न बने. मेरा आग्रह है कि अगर प्रतिपक्ष यहां पर होता तो मैं मानता कि कम से कम उनके सामने भी यह बात आनी चाहिये कि हमारे जो संसदीय नियम बने हुए हैं. अगर उनका पालन नहीं होगा तो शायद हम बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे सकते. मैं मानता हूं कि उनकी अनुपस्थिति है इसलिए आपके विवेक पर जरूर हम छोड़ते हैं. मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर आज एक बेहतरीन बजट आया है उसे अगर बेहतर तरीके से सुनते तो शायद सबका भी भला होता.''

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि-''आज बजट के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो व्यवधान हुआ, मैंने भी उनसे बार-बार आग्रह किया कि वह अपने आसन पर जाएं और इस प्रकार का आचरण न करें. मैं समझता हूं कि यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है और इस प्रकार के आचरण को किसी भी प्रकार से न आसंदी, न सदन उचित कह सकता है.''

अपराह्न 12.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 4 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 13 शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 3 जुलाई, 2024